लुधियाना निगम में सत्ता का संग्राम, एफएंडसीसी चुनाव में आप को झटका

लुधियाना निगम की एफएंडसीसी में बड़ा बदलाव: हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ चुनाव, आप और कांग्रेस के खाते में गई एक-एक सीट

लक्की मेहता | लुधियाना
समर न्यूज़

लुधियाना नगर निगम की फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी निगम की सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है। यह कमेटी शहर के विकास कार्यों, बजट आवंटन और फंड से जुड़े बड़े फैसले लेती है। नगर निगम द्वारा जारी किए जाने वाले बड़े विकास कार्यों के टेंडर, ठेके और प्रस्तावों को मंजूरी देना इसी कमेटी का काम है। नियमों के मुताबिक, इस बेहद खास कमेटी में कुल छह मुख्य सदस्य होते हैं। मेयर, जो वर्तमान में इंदरजीत कौर हैं, के अलावा सीनियर डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर, नगर निगम कमिश्नर और दो निर्वाचित पार्षद इस कमेटी में मौजूद रहते हैं। नगर निगम हाउस के पार्षदों में से दो सदस्यों को वोटिंग के जरिए इस कमेटी के लिए चुना जाता है। पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1976 की धारा 42(4) के अनुसार, पार्षद सदस्यों का चुनाव "पार्षदों द्वारा आपस में" किया जाना होता है। हालांकि, 95 सदस्यीय लुधियाना नगर निगम सदन ने इस साल मार्च में एक प्रस्ताव पारित कर मेयर को इन दोनों सदस्यों को नामित करने का अधिकार दे दिया था। लुधियाना नगर निगम हाउस में कुल 95 पार्षद हैं। इनमें आम आदमी पार्टी के 49, कांग्रेस के 25, भाजपा के 19 (जिसमें एक आजाद पार्षद भी है) और शिरोमणि अकाली दल के दो पार्षद शामिल हैं। यह मामला 24 जून को उस समय सामने आया, जब लुधियाना नगर निगम की मेयर इंदरजीत कौर ने आदेश जारी कर आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल बग्गा के बेटे अमन बग्गा और विधायक कुलवंत सिंह के बेटे युवराज सिंह सिद्धू को एफएंडसीसी का सदस्य नियुक्त किया। दोनों ही पहली बार पार्षद मनोनीत हुए थे। विधायक मदन लाल बग्गा के छोटे बेटे गौरव बग्गा वर्तमान में लुधियाना

आप पार्षद युवराज सिद्धू (जीत)

कांग्रेस पार्षद गौरव भट्टी (जीत)

आप पार्षद अमन बग्गा

बीजेपी पार्षद रुचि विशाल गुलाटी

नगर निगम में कानूनी सलाहकार के रूप में भी कार्यरत हैं। पंजाब कांग्रेस के सचिव ध्रुव अग्रवाल ने इन नियुक्तियों पर आपत्ति जताई और कहा कि पार्टी को जवाब देना चाहिए कि क्या "आम आदमी पार्टी के विधायकों के बच्चे ही मुख्यमंत्री भगवंत मान के कथित रोजगार देने के दावों के एकमात्र लाभार्थी होंगे।" उन्होंने कहा, "विधायक मदन लाल बग्गा के दोनों बेटे अब लुधियाना नगर निगम में अच्छी तरह से स्थापित हैं। एक कानूनी सलाहकार है और दूसरे को अब एफएंडसीसी का सदस्य बना दिया गया है। क्या मेयर को इन दो पदों के लिए बाकी 90 पार्षदों में से कोई योग्य नहीं मिला? दोनों पद विधायकों के बेटों को ही कैसे दे दिए गए? और फिर मुख्यमंत्री दूसरी पार्टियों पर वंशवादी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं।"

▪ मेयर के फैसले के खिलाफ अदालत में पहुंचा मामला

कांग्रेस पार्षद गौरव भट्टी ने जुलाई के पहले सप्ताह में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने 6-7 जुलाई के दौरान रिट याचिका दायर कर इन नियुक्तियों को अवैध घोषित करने की मांग की। याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया और नगर निगम प्रशासन व मेयर को नोटिस जारी कर 27 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। निर्धारित तारीख पर सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से कोई लिखित जवाब पेश नहीं किया जा सका। सुनवाई के दौरान निगम की ओर से जवाब देने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय मांगा गया। जांच और सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि 'पंजाब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1976' की धारा 42(4) के तहत दोनों सदस्यों का चुनाव पार्षदों द्वारा खुद में से किया जाना अनिवार्य है, न कि मेयर द्वारा सीधे मनोनीत करना। हाईकोर्ट ने 7 अगस्त 2026 को अपने आदेश में समिति में की गई दोनों सदस्यों (विधायकों के बेटों) की नियुक्ति को रद्द कर दिया और कानूनी प्रक्रिया (चुनाव) के तहत इन पदों को भरने के निर्देश दिए। इसके बाद 14 अगस्त 2026 को भी कोर्ट ने एक आदेश जारी किया और अंततः 18 अगस्त 2026 (शुक्रवार) को सुनवाई करते हुए नगर निगम की अपील पर चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाते हुए 25 अगस्त 2026 तय किया।

▪ मेयर से छीना सीधी नियुक्ति का अधिकार...

हाईकोर्ट ने इस पर लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट से भी जवाब-तलब किया। उसके बाद लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने कमिश्नर को दोनों सदस्यों को बर्खास्त करने के आदेश दिए। डायरेक्टर ने अपने पत्र में लिखा कि विभाग द्वारा 10 अप्रैल 2026 को जारी पत्र के तहत दी गई मंजूरी पर दोबारा विचार किया गया। जांच में पाया गया कि 'पंजाब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1976' की धारा 42(4) के तहत एफएंडसीसी के दो पार्षद सदस्यों का चुनाव पार्षदों द्वारा अपने में से किया जाना अनिवार्य है, न कि मेयर द्वारा सीधे नियुक्ति। डायरेक्टर ने लिखा है कि नगर निगम लुधियाना के प्रस्ताव संख्या 106 को उस सीमा तक रद्द कर दिया गया है, जहां मेयर को एफएंडसीसी के दो सदस्य नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था। इसे कानून (धारा 42(4)) के विरुद्ध मानते हुए इस संबंध में पहले दी गई सरकारी मंजूरी वापस ले ली गई है। लेटर में लिखा है कि मेयर द्वारा 24 जून 2026 को दो पार्षदों को एफएंडसीसी सदस्य मनोनीत करने का आदेश बिना कानूनी अधिकार के जारी माना गया है। इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा और मनोनीत किए गए दोनों सदस्य तत्काल प्रभाव से एफएंडसीसी के सदस्य नहीं रहेंगे। लेटर में लिखा है कि एफएंडसीसी के दो सदस्यों की नियुक्ति अब 'पंजाब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1976' की धारा 42(4) और लागू नियमों के अनुसार पार्षदों द्वारा चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से ही कराई जाएगी। नगर निगम लुधियाना को निर्देश दिया गया कि याचिका (गौरव भट्टी बनाम पंजाब राज्य आदि) में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सभी निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करे।

▪ दो सदस्यों के लिए पांच नामांकन...

लुधियाना नगर निगम की फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी (एफएंडसीसी) के दो सदस्यों के चुनाव के लिए 25 अगस्त 2026 को नगर निगम हाउस की बैठक के दौरान शाम पांच बजे तक नामांकन फॉर्म लिए गए थे। कमेटी के दो पदों के लिए कुल पांच पार्षदों ने नामांकन पत्र जमा कराए। इनमें आम आदमी पार्टी के तीन, कांग्रेस का एक और भाजपा का एक उम्मीदवार शामिल थे। कांग्रेस की ओर से गौरव भट्टी और भाजपा की ओर से रुचि गुलाटी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आम आदमी पार्टी की ओर से विधायक मदन लाल बग्गा के बेटे अमन बग्गा और विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू के बेटे युवराज सिंह सिद्धू को आधिकारिक उम्मीदवार बनाया गया। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री व लुधियाना वेस्ट से विधायक संजीव अरोड़ा के हलके के आप पार्षदों ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बगावत कर दी। पार्षद मनिंदर कौर घुम्मन का नामांकन पत्र दाखिल करा दिया, जिसे बाद में उन्होंने वापिस ले लिया। तीसरा उम्मीदवार मैदान में आने से आम आदमी पार्टी की जीत का पूरा समीकरण गड़बड़ा गया।

▪ बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर छापने पर बिफरे पार्षद...

लुधियाना नगर निगम की फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी (एफएंडसीसी) के दो सदस्यों के चुनाव के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान मच गया। नगर निगम ने पार्षदों को वोटिंग प्रक्रिया समझाने के लिए उन्हें जोन ए में बुलाया। सत्ता पक्ष के पार्षद वहां नहीं पहुंचे, वहीं कांग्रेस व भाजपा के पार्षद तय समय पर जोन ए मीटिंग हॉल में पहुंचे। 50 मिनट देरी से अफसर वहां पहुंचे और उन्होंने भाजपा व कांग्रेस पार्षदों को चुनाव प्रक्रिया बताई। भाजपा व कांग्रेस पार्षदों ने चुनाव में प्रयोग होने वाले बैलेट पेपर और मतदान की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। भाजपा-कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने बैलेट पेपर के पीछे सीरियल नंबर लिखा है, जिससे हर पार्षद की वोट पता चल जाएगी। पार्षदों का आरोप है कि मेयर ने जिन अफसरों को जानकारी देने के लिए भेजा, उन्होंने स्पष्ट जानकारी नहीं दी और न ही वोटिंग प्रक्रिया को सही से समझाया गया। पार्षदों ने साफ कर दिया कि अगर बैलेट पेपर नहीं बदला तो वे हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे।

▪ पार्षदों में हाथापाई...

25 अगस्त को लुधियाना नगर निगम में फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी के दो सदस्यों के चुनाव को लेकर गुरु नानक देव भवन में मेयर इंदरजीत कौर की अगुआई में हुई बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षद अश्वनी शर्मा और भाजपा पार्षद गौरवजीत गोरा के बीच हाथापाई हो गई। अन्य पार्षदों और पुलिस ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग किया। इससे पहले भाजपा पार्षदों की विधायक दलजीत भोला से चुनाव को लेकर बहस हो रही थी, जिसके बाद अश्वनी शर्मा विवाद में पहुंच गए। जानकारी के अनुसार, विपक्षी पार्षद आज ही चुनाव कराने की मांग पर अड़े रहे, जबकि मेयर ने 29 अगस्त को मतदान कराने की बात कही। विपक्ष ने आरोप लगाया कि आप के उम्मीदवार मौजूद नहीं होने के कारण चुनाव टाला गया। निगम सेक्रेटरी विवेक वर्मा ने शाम पांच बजे तक नामांकन फॉर्म लिए जाने की बात कही और नियम के अनुसार तीन दिन बाद ही मतदान होने पर फैसला लिया गया।

▪ अंततः दो से एक सीट पर सिमटी आप...

नगर निगम की महत्वपूर्ण फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी (एफएंडसीसी) के दो सदस्यों का चुनाव शनिवार को गुरु नानक देव भवन में गुप्त मतदान के जरिए संपन्न हुआ। चुनाव के बाद मेयर इंदरजीत कौर और विजेता सदस्यों ने मीडिया को जानकारी दी। चुनाव में आम आदमी पार्टी के पार्षद युवराज सिंह सिद्धू और कांग्रेस के पार्षद गौरव भट्टी विजयी रहे। युवराज सिद्धू को 37 फर्स्ट-प्रेफरेंस वोट मिले, जबकि गौरव भट्टी ने दूसरी सीट हासिल की। आम आदमी पार्टी के दूसरे उम्मीदवार अमन बग्गा हार गए। इससे पहले जून में मेयर इंदरजीत कौर ने अमन बग्गा (विधायक मदन लाल बग्गा के बेटे) और युवराज सिद्धू (विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू के बेटे) को सीधे मनोनीत किया था।

कांग्रेस पार्षद गौरव भट्टी की हाईकोर्ट में चुनौती के बाद यह नियुक्ति रद्द हो गई थी और कोर्ट ने चुनाव कराने का आदेश दिया था। एफएंडसीसी में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर, नगर निगम कमिश्नर और दो चुने हुए पार्षद सदस्य होते हैं। यह कमेटी निगम के वित्तीय फैसलों और ठेकों में अहम भूमिका निभाती है। चुनाव के बाद मेयर इंदरजीत कौर ने प्रक्रिया को पारदर्शी बताते हुए कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों और नियमों का पूरा पालन किया गया। विजेता सदस्यों ने भी शहर के विकास के लिए कमेटी में योगदान देने का संकल्प जताया।

लघु उद्योग दिवस : लाखों इकाइयों से करोड़ों का कारोबार, लेकिन जमीन, पूंजी, तकनीक और बाजार की चुनौतियां बरकरार

एमएसएमई : पंजाब की औद्योगिक रीढ़

78 प्रतिशत उत्पादन में की हिस्सेदारी

लुधियाना सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र, पर लागत और बुनियादी ढांचा चुनौती

लुधियाना पंजाब के लघु उद्योगों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। साइकिल और साइकिल पार्ट्स, होजरी, रेडीमेड कपड़े, ऑटो पार्ट्स, मशीन टूल्स, फास्टनर और इंजीनियरिंग उत्पाद यहां के प्रमुख उद्योग हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के उपलब्ध आंकड़ों में लुधियाना एमएसएमई उत्पादन के मामले में राज्य में सबसे आगे रहा। जिले के एमएसएमई का उत्पादन 31,815 करोड़ रुपये से अधिक दर्ज किया गया था। हालांकि उत्पादन क्षमता के बावजूद यहां उद्योगों को महंगी जमीन, पुराने औद्योगिक क्षेत्रों की खराब सड़कें, जल निकासी, यातायात दबाव, प्रदूषण संबंधी मंजूरियों, कुशल श्रमिकों की कमी और निर्यात के लिए बेहतर परिवहन संपर्क जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाल के महीनों में औद्योगिक संगठनों ने मिश्रित भूमि उपयोग वाले क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने, बुनियादी ढांचे में सुधार और लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को गति देने की मांग उठाई है। सितंबर 2026 में मिश्रित भूमि उपयोग वाले 50 हजार से अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों से जुड़ी समयसीमा भी महत्वपूर्ण होने जा रही है। लुधियाना के उद्यमियों की एक बड़ी चिंता उत्पादन लागत भी है। कच्चे माल, ईंधन, बिजली, परिवहन और वित्त की लागत बढ़ने से छोटे उद्योगों के मुनाफे पर असर पड़ता है। 2026 में पश्चिम एशिया संकट के दौरान ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी ने भी कई इकाइयों की लागत बढ़ाई और नए ऑर्डर प्रभावित किए। उद्योग संगठनों की मांगों में सरल जीएसटी व्यवस्था, समय पर रिफंड, सस्ता ऋण, औद्योगिक ढांचे का आधुनिकीकरण और निर्यात के लिए माल ढुलाई लागत घटाना प्रमुख हैं।

जालंधर: खेल सामान की पहचान, तकनीक व गुणवत्ता पर जोर

जालंधर का लघु उद्योग मुख्य रूप से खेल सामान, सर्जिकल उपकरण, रबर उत्पाद, पाइप फिटिंग, चमड़ा और इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए जाना जाता है। जिला प्रशासन की जानकारी के अनुसार जालंधर में करीब 20 हजार छोटे उद्योग हैं और खेल सामान का उत्पादन शहर की औद्योगिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेल सामान उद्योग में फुटबॉल, क्रिकेट बैट-बॉल, बैडमिंटन रैकेट, दस्ताने और सुरक्षा उपकरण जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं। यहां सबसे बड़ी चुनौती अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा है। छोटे निर्माताओं को नई तकनीक, उत्पाद डिजाइन, परीक्षण सुविधाओं, अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन और ब्रांडिंग के क्षेत्र में निवेश करना कठिन पड़ता है। इसे देखते हुए जालंधर में खेल तकनीक विस्तार केंद्र स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़े हैं। इसका उद्देश्य उत्पाद विकास, तकनीकी उन्नयन और वैश्विक गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में उद्योग की मदद करना है। उद्योग की ओर से अंतरराष्ट्रीय स्तर की परीक्षण प्रयोगशालाओं, पर्यावरण अनुकूल सामग्री और निर्यात सुविधाओं की भी मांग की गई है।

अर्शदीप सिंह समर
ग्रुप एडिटर, समर एक्सप्रेस

पंजाब में लघु और मध्यम उद्योग केवल रोजगार देने वाला क्षेत्र नहीं, बल्कि राज्य के औद्योगिक ढांचे की सबसे मजबूत कड़ी हैं। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक-2024 के अनुसार पंजाब में करीब 14.65 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हैं।

ये राज्य के कुल एमएसएमई का 99.7 प्रतिशत हैं, औद्योगिक क्षेत्र के करीब 65 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार देते हैं और राज्य के कुल औद्योगिक उत्पादन में इनकी हिस्सेदारी 78 प्रतिशत है। ऐसे में 30 अगस्त को मनाया जाने वाला लघु उद्योग दिवस पंजाब के लिए विशेष महत्व रखता है।

पंजाब की अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि पर काफी निर्भर है, लेकिन कृषि से जुड़े प्रसंस्करण, कपड़ा, मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, साइकिल, खेल सामान, कृषि उपकरण, चमड़ा, खाद्य उत्पाद और इंजीनियरिंग सामान जैसे क्षेत्रों ने छोटे उद्योगों के लिए बड़ा आधार तैयार किया है।

राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार पंजाब की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2025-26 में 6.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसमें उद्योग क्षेत्र का योगदान करीब 29 प्रतिशत है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।

पंजाब सरकार ने औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के लिए फोकल प्वाइंटों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए 100 करोड़ रुपये की पहल और कई क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहन की घोषणा की है। अब उद्योग जगत की नजर इन योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर है। केवल नई इकाइयां स्थापित करना पर्याप्त नहीं होगा; मौजूदा छोटे उद्योगों को टिकाऊ बनाना, उन्हें तकनीक से जोड़ना और उत्पादन को वैश्विक बाजार तक पहुंचाना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा।

पंजाब के लिए लघु उद्योगों का महत्व उनके उत्पादन से कहीं बड़ा है। ये बड़ी संख्या में रोजगार देते हैं, स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला बनाते हैं और कृषि से लेकर निर्यात तक कई क्षेत्रों को जोड़ते हैं। नीति आयोग के अनुसार एमएसएमई राज्य के औद्योगिक कार्यबल के करीब 65 प्रतिशत को रोजगार देते हैं और औद्योगिक उत्पादन में 78 प्रतिशत योगदान करते हैं।

इसलिए लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला और बटाला जैसे औद्योगिक केंद्रों में छोटे उद्योगों की मजबूती सीधे पंजाब की आर्थिक गति और रोजगार के अवसरों से जुड़ी है।

अमृतसर: परंपरागत उद्योगों को बाजार व लॉजिस्टिक्स का सहारा जरूरी

अमृतसर में कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, हल्के इंजीनियरिंग उत्पाद, धातु के सामान, हस्तशिल्प और कृषि आधारित छोटे उद्योगों की महत्वपूर्ण मौजूदगी है। सीमावर्ती शहर होने के कारण यहां उद्योगों के लिए बाजार और परिवहन संपर्क विशेष महत्व रखते हैं। उद्योग जगत लंबे समय से बेहतर माल ढुलाई सुविधाओं और निर्यात के लिए कंटेनर आधारित ढांचे की मांग करता रहा है। राज्य सरकार ने एमएसएमई के तकनीकी विकास के लिए अमृतसर समेत कई औद्योगिक केंद्रों में तकनीकी विस्तार केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है। इसके अलावा अमृतसर में यूनिटी मॉल के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और पंजाब के जिलों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना है। ऐसे कदम छोटे उत्पादकों को स्थानीय बाजार से बाहर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच बनाने में मदद कर सकते हैं।

पटियाला: छोटे विनिर्माण की क्षमता, तकनीकी विस्तार की जरूरत

पटियाला में कृषि उपकरण, औद्योगिक औजार, विद्युत उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य छोटे विनिर्माण उद्योगों का आधार है। पुराने औद्योगिक ढांचे के साथ यहां नई तकनीक अपनाने की संभावनाएं भी हैं। उपलब्ध जिला औद्योगिक आंकड़ों के अनुसार पटियाला में सूक्ष्म और लघु इकाइयों की बड़ी संख्या रही है और इनसे हजारों लोगों को रोजगार मिला है। औद्योगिक फोकल प्वाइंट में औजार निर्माता क्लस्टर के लिए नए ढांचे पर काम भी किया गया है। पटियाला जैसे शहरों में चुनौती केवल इकाइयों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाना है। आधुनिक मशीनरी, कौशल प्रशिक्षण, डिजाइन विकास, डिजिटल विपणन और बेहतर वित्तीय पहुंच छोटे उद्योगों के लिए निर्णायक हो सकते हैं। सरकार की योजना में तकनीकी विस्तार केंद्रों और कौशल विकास को बढ़ावा देने पर जोर इसी आवश्यकता को दर्शाता है। पंजाब सरकार लगातार लघु उद्योगों के विकास के लिए नीतियां बना रही है। युवाओं को जोड़ने के लिए विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किए गए। उन्हें निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

बटाला में सबसे गंभीर संकट, तीन दशक में 60 प्रतिशत इकाइयां बंद

बटाला कभी पंजाब के प्रमुख मशीन टूल और फाउंड्री केंद्रों में गिना जाता था, लेकिन अब यह औद्योगिक गिरावट का उदाहरण बन चुका है। उद्योग विभाग के आंकड़ों के हवाले से सामने आई हालिया जानकारी के अनुसार पिछले तीन दशकों में शहर की करीब 60 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयां बंद हो चुकी हैं। 1980 के दशक में यहां लगभग 2,000 फाउंड्री होने का अनुमान था, जबकि अब करीब 400 रह गई हैं और इनमें भी लगभग 100 को ही सक्रिय माना जाता है। कृषि उपकरण बनाने वाली 450 से अधिक इकाइयों में से लगभग 120 के आसपास रह जाने की बात सामने आई है। बटाला की समस्या केवल बाजार की कमी नहीं है। पुराने औद्योगिक ढांचे, पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन और सस्ते पुराने आयातित मशीनों से प्रतिस्पर्धा ने स्थानीय निर्माताओं पर दबाव बढ़ाया है। उद्योगपतियों का मानना है कि बटाला के पुनरुद्धार के लिए दीर्घकालीन औद्योगिक योजना, आधुनिक तकनीकी केंद्र, सस्ती वित्तीय सुविधा और युवाओं के लिए कौशल आधारित रोजगार जरूरी है।

सरकार की नई नीति से उम्मीद

पंजाब ने 2026 में नई औद्योगिक एवं कारोबारी विकास नीति लागू की है। इसमें एमएसएमई के लिए पात्र विनिर्माण इकाइयों को निश्चित शर्तों के तहत उनकी पात्र स्थायी पूंजी निवेश राशि के 100 प्रतिशत तक वित्तीय प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा 500 करोड़ रुपये तक रखी गई है। सीमावर्ती जिलों और कंडी क्षेत्रों तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए यह सीमा पात्र निवेश की 125 प्रतिशत तक हो सकती है। इसका उद्देश्य निवेश, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही राज्य में एमएसएमई के लिए बाजार पहुंच, वित्तीय सहायता और तकनीकी उन्नयन से जुड़े 120 करोड़ रुपये के कार्यक्रम रैम्प योजना के तहत चलाए जा रहे हैं। तकनीक हासिल करने की लागत की प्रतिपूर्ति जैसी सेवाएं भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। सरकार ने ऊर्जा दक्षता और उद्योग 4.0 जैसे क्षेत्रों पर भी जोर दिया है।

उद्योगपतियों की मांग: जमीन पर परिणाम

पंजाब के छोटे उद्योगों की प्रमुख मांगों में सस्ती और पर्याप्त औद्योगिक जमीन, बेहतर सड़क-सीवर-स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, निर्बाध बिजली, सस्ता कार्यशील पूंजी ऋण, समय पर जीएसटी रिफंड, सरल अनुपालन, आधुनिक परीक्षण केंद्र और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता शामिल है। उद्योग संगठन औद्योगिक फोकल प्वाइंट के व्यापक कायाकल्प, पुराने औद्योगिक प्लॉटों से जुड़े विवादों के समाधान और वित्तीय बोझ घटाने की भी मांग करते रहे हैं।